उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–16/2022–23

नरसिंह महतो

बनाम्

झारखण्ड राज्य एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक 20/12/23

अपीलकर्त्ता एवं उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता नरसिंह महतो, पे0–स्व0 कनकलता महतो, सा0–पीपरा, थाना–पथरगामा, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0–117/2009–10 के आदेश दिनांक–14.02.2020 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है, जिसके द्वारा उत्तरवादी सं0–03 प्रमोद कुमार भगत को मौजा–सिमरिया (तौजी नं0–610, थाना नं0–126) का प्रधान नियुक्त किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–सिमरिया प्रधानी मौजा है। मेकफर्सन सेटलमेंट एवं गेंजर सेटलमेंट के दौरान वंशानुगत आधार पर उक्त मौजा का प्रधान नियुक्त किया गया था। अपीलकर्त्ता के दादा मसुदन महतो उक्त मौजा के अंतिम प्रधान थे। गत प्रधान मसुदन महतो को बकाया मालगुजारी का राशि जमा नहीं करने के कारण प्रधानी पद से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद विद्वान उपायुक्त, संथाल परगना के आर0एम0पी0 नं0–125/1943–44 के आदेश दिनांक–07.12.1943 के द्वारा रैयतों के मतदान के आधार पर सूर्य नारायण भगत को उक्त मौजा का प्रधान नियुक्त किया गया था। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र विश्वनाथ भगत को उत्तराधिकारी के आधार पर उक्त मौजा का प्रधान नियुक्त किया गया। विश्वनाथ भगत की मृत्यु के बाद उनके पुत्र प्रमोद कुमार भगत के द्वारा उत्तराधिकारी के आधार पर नियुक्ति के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया, जो पी0ए0 केश नं0–117/2009–10 दर्ज किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आदेश दिनांक–30.07.2012 के द्वारा रैयतों का राय प्राप्त किये बिना ही उत्तराधिकारी प्रमोद कुमार भगत को उक्त मौजा–सिमरिया का प्रधान नियुक्त किया गया था। उक्त आदेश को निरस्त करने के लिए

अपीलकर्त्ता की ओर से इस न्यायालय में आर0एम0ए0 नं0–11/2012–13 दायर किया गया। आर0एम0ए0 नं0– 11/2012–13 के आदेश दिनांक–23.10.2018 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के उक्त आदेश को निरस्त किया गया एवं सिर्फ मौजा–सिमरिया के तौजी नं0–610 के प्रधान नियुक्ति के लिए अभिलेख वापस भेजा गया। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने मौजा के रैयतों को बिना नोटिश दिये एवं रैयतों का राय जाने बिना ही उत्तरवादी प्रमोद कुमार भगत को उक्त मौजा– सिमरिया तौजी नं0–610 का प्रधान नियुक्त किया गया है, जबकि संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) नियमावली 1950 के अनुसूची V के नियम एवं जे0एल0जे0आर0 724(डी0बी0) 2003(3) में स्वर्णलता देवी बनाम् सरकार एवं अन्य के मामले में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड के निर्णय के अनुसार उत्तरवादी के प्रधान नियुक्त करने के पूर्व मौजा के रैयतों का राय लेना चाहिए था। इस प्रकार निम्न न्यायालय के द्वारा उपरोक्त नियम एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत उत्तरवादी को उक्त मौजा का प्रधान नियुक्त किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए खतियानी प्रधान के उत्तराधिकारी के आधार पर अपीलकर्त्ता को उक्त मौजा का प्रधान नियुक्त करने के लिए अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को वापस करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी प्रमोद कुमार भगत के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्त्ता ने अपील आवेदन में विशेष रूप से दो बाते का उल्लेख किया है, पहला कि अपीलकर्त्ता के पूर्वज मसुदन महतो गत प्रधान थे एवं दूसरा कि वर्तमान प्रधान को सौलह आना रैयतों की सहमति के बिना नियुक्त किया गया है। यह स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता के पूर्वज मसुदन महतो पूर्व में प्रधान थे। लेकिन उत्तरवादी प्रमोद कुमार भगत के दादा सूर्य नारायण भगत की नियुक्ति के बाद सक्षम प्राधिकार के आदेश से मसुदन महतो को प्रधानी पद से बर्खास्त कर दिया गया था। तत्कालीन प्रधान मसुदन महतो की बर्खास्तगी के बाद अपीलकर्त्ता के पूर्वज कनकलाल महतो ने आधारहीन आरोप लगातार नियुक्त प्रधान सूर्य नारायण भगत को परेशान करने के लिए कई प्रयास किये थे, जिन्हें अंततः खारिज कर दिया गया था। उनका आगे कथन है कि सूर्य नारायण भगत की मृत्यु के बाद उनके पुत्र स्व0 विश्वनाथ भगत ने मौजा–सिमरिया के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन दिया

था, जो पी0ए0 केश नं0–01/1977 दर्ज किया गया। उसमें अपीलकर्त्ता के पिता कनकलाल महतो भी उम्मिदवार थे, जिनके आवेदन को खारिज कर दिया था एवं आदेश दिनांक–11.07.1979 के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत प्रधान नियुक्ति का आदेश दिया गया था। अपीलकर्त्ता के पिता कनकलाल महतो ने उक्त आदेश के विरूद्ध उपायुक्त संथाल परगना, दुमका के न्यायालय में आर0एम0ए0 नं0– 770/1979–80 दायर किया। उपायुक्त, संथाल परगना, दुमका ने आदेश दिनांक–23.08.1981 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के दिनांक–11. 07.1979 के आदेश को निरस्त किया गया एवं अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत प्रधान का चयन करने के लिए आदेश दिया गया। उपायुक्त, संथाल परगना, दुमका के उक्त आदेश के विरूद्ध उत्तरवादी प्रमोद कुमार भगत के पिता विश्वनाथ भगत ने विद्वान आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल के न्यायालय में आर0एम0ए0 नं0–199/1980–81 अपील वाद दायर किया गया। विद्वान आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल ने उपायुक्त, संथाल परगना, दुमका के आदेश को निरस्त करते हुए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत उक्त मौजा में प्रधान नियुक्त करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को वापस भेज दिया गया एवं विद्वान आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल के आदेश के आलोक में पी0ए0 केश नं0– 01/1977–78 के आदेश दिनांक–01.07.1985 के द्वारा उत्तरवादी प्रमोद कुमार भगत के पिता विश्वनाथ भगत को मौजा–सिमरिया के दोनों तौजी नं0–610 (11 आना) एवं तौजी नं0–483 (5 आना) का प्रधान नियुक्त किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता के पिता कनकलता महतो की ओर से इस न्यायालय में आर0एम0ए0 नं0–21/1985–86 अपील वाद दायर किया गया था, जो आदेश दिनांक–28.07.1986 के द्वारा खारिज किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता के पिता के द्वारा फिर से विद्वान आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में विविध राजस्व नं0– 230/1986–87 दायर किया गया, जो अंततः आदेश दिनांक–21.10.2011 के द्वारा तौजी नं0–483 (5 आना) को खास रखा गया एवं तौजी नं0–610 (11 आना) के हित के लिए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत प्रधान की नियुक्ति के लिए निर्देश दिया गया। विद्वान आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के उक्त आदेश के आलोक में गत प्रधान विश्वनाथ

भगत के उत्तराधिकारी होने के नाते उत्तरवादी प्रमोद कुमार भगत ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत मौजा–सिमरिया के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया, जो पी0ए0 केश नं0–117/2009–10 दर्ज किया गया। पी0ए0 अभिलेख के लंबित रहने के दौरान अपीलकर्त्ता के द्वारा यह कहकर आपत्ति आवेदन दाखिल किया कि वह बर्खास्त प्रधान मसुदन महतो के पोता है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आदेश दिनांक–30.07.2012 के द्वारा माननीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के आदेश एवं संबंधित कागजात पर बिचार करने के बाद उत्तरवादी प्रमोद कुमार भगत को मौजा– सिमरिया का प्रधान नियुक्त किया गया। उक्त मौजा के प्रधान के रूप में उत्तरवादी प्रमोद कुमार भगत की नियुक्ति के बाद अपीलकर्त्ता के द्वारा पुनः इस न्यायालय में अपील आर0एम0ए0 नं0–11/2012 दायर किया गया। जहाँ इस न्यायालय ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आदेश को निरस्त किया गया एवं विद्वान आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के आदेश के आलोक में मामले का नये सिरे से सुनवाई कर निर्णय लेने का स्पष्ट निर्देश दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने पी0ए0 केश नं0–117/2009–10 के आदेश दिनांक –14.02.2020 के द्वारा माननीय आयुक्त, संथाल परगना, दुमका के आदेश के आलोक में उत्तरवादी प्रमोद कुमार भगत को मौजा–सिमरिया तौजी नं0–610 का प्रधान नियुक्त किया गया। मौजा– सिमरिया तौजी नं0–610 के प्रधान के रूप में विधिवत नियुक्ति के बाद अपीलकर्त्ता के द्वारा पुनः इस न्यायालय में अपील वाद दायर किया है, जबकि प्रधान मसुदन महतो की बर्खास्ती के बाद अपीलकर्त्ता का वंशानुगत दावा पहले ही समाप्त हो गया है, इसलिए वंशानुगत आधार पर अपीलकर्त्ता दावा नहीं कर सकता है, जबकि उत्तरवादी प्रमोद कुमार भगत को गत प्रधान के अगला उत्तराधिकारी के आधार पर उक्त मौजा का प्रधान नियुक्त किया गया है एवं संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत प्रधान की नियुक्ति के लिए चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं है। नियुक्ति पूरी तरह से वंशानुगत आधार पर होती है एवं अपीलकर्त्ता को छोड़कर किसी भी रैयत की ओर से आपत्ति नहीं की गयी थी। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश स्पष्ट एवं नियम संगत है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने की कृपा की जाय।

विद्वान सरकारी वकील का कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत है। इसलिए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन खारिज किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्व कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–सिमरिया का गत प्रधान विश्वनाथ भगत थे। गत प्रधान विश्वनाथ भगत की मृत्यु के बाद अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पारित आदेश दिनांक–30.07.2012 के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत उत्तराधिकारी के आधार पर उत्तरवादी प्रमोद कुमार भगत को मौजा–सिमरिया नं0–126, 139 का प्रधान नियुक्त किया गया था, जिसके विरूद्ध अपीलकर्त्ता के द्वारा इस न्यायालय में आर0एम0ए0 नं0–11/2012–13 दायर किया गया था। इस न्यायालय के पारित आदेश दिनांक–23.10.2018 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पारित आदेश को निरस्त किया गया एवं अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को विद्वान आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के आदेश के आलोक में नये सिरे से सुनवाई कर निर्णय लेने के लिए निर्देश दिया गया है। चूँकि विद्वान आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के मिस रिविजन केश नं0–21/2010–11 के द्वारा दिये गये निर्णय, जिसके द्वारा यह स्पष्ट है कि मौजा–सिमरिया में दो तौजी नं0–610 एवं 483 है। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत वंशानुगत अधिकार सिर्फ एक तौजी नं0–610 पर लागू होगा एवं तौजी नं0–483 खास रहेगा। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा पारित आदेश दिनांक–14.02.2020 के द्वारा उत्तरवादी प्रमोद कुमार भगत को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत वंशानुगत आधार पर मौजा–सिमरिया के तौजी नं0–610 का प्रधान नियुक्त किया गया तथा तौजी नं0–483 खास रहने के काकरण दो–तिहाई रैयतों का राय प्राप्त करने के लिए मौजा के वर्तमान वारिशानों की सूची की मांग की गयी है। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पारित आदेश नियम के विपरीत प्रतीत नहीं होता है। जहाँ तक अपीलकर्त्ता का दावा उनके दादा मसुदन महतो के उक्त मौजा के प्रधान होने के आधार पर है। लेकिन यह स्पष्ट है कि मसुदन महतो को सरकारी लगान नहीं चुकाने के कारण प्रधानी पद से बर्खास्त कर दिया गया था एवं उसके बाद सूर्यनारायण भगत को मौजा–सिमरिया का प्रधान नियुक्त किया गया था। सूर्यनारायण भगत की मृत्यु के बाद उत्तरवादी प्रमोद कुमार

भगत के पिता विश्वनाथ भगत उक्त मौजा का प्रधान नियुक्त किये गये थे। इस प्रकार उत्तरवादी प्रमोद कुमार भगत का दावा वंशानुगत आधार पर युक्ति युक्त प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0–117/2009–10 में दिनांक–14.02.2020 के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

30/7/23

उपायुक्त,
गोड्डा।

30/7/23

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2024.06.27 16:19:31 +05:30
Location: 192.168.1.50